

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2361] No. 2361] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2016/आश्विन 7, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2016/ASVINA 7, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 3081(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर पदेन अध्यक्ष;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक का उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति प्रभारी पदेन सदस्य;
- (ग) केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिकारी पदेन सदस्य:
- (घ) श्री चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान सदस्य;
- (ङ) प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनामिक्स सदस्य; और
- (च) 🛾 डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलिकया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद सदस्य।
- 2. पैराग्राफ 1 के खंड (घ) से (च) में दिए गए मौद्रिक नीति समिति के सदस्य अपने पद पर चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बने रहेंगे।

[फा.सं. 12/1/2016-एफएसएलआरसी]

अजय त्यागी, अपर सचिव

4646 GI/2016 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2016

- **S.O. 3081(E).** In exercise of the powers conferred by section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby constitutes the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India, consisting of the following, namely:-
 - (a) Governor of the Reserve Bank of India—Chairperson, ex officio;
 - (b) Deputy Governor of the Reserve Bank of India, in charge of Monetary Policy—Member, ex officio;
 - (c) One officer of the Reserve Bank of India to be nominated by the Central Board—Member, ex officio;
 - (d) Shri Chetan Ghate, Professor, Indian Statistical Institute —Member;
 - (e) Professor Pami Dua, Director, Delhi School of Economics—Member; and
 - (f) Dr. Ravindra H. Dholakia, Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad—Member.
- 2. The Members of the Monetary Policy Committee referred to in clause (d) to (f) of Paragraph 1, shall hold office for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 12/1/2016-FSLRC]

AJAY TYAGI, Addl. Secy.